



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मई, 1981

ज्येष्ठ 7, 1903 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1366/सत्रह-वि०-1-103-79

लखनऊ, 28 मई, 1981

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 12 मई, 1981 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 का अन्तर् संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के वत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--वह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 14,
सन् 1962 की
धारा 5 का प्रति-
स्थापन।

2—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

“5—(1) यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 7 और कतिपय अन्य 17 के साथ पठित दिनांक 17 मार्च, 1866 क हर नैजेस्टी के लेटर्स मामलों में लेटर्स पेटेंट के खण्ड 10 में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के पेटेंट अपील की होते हुए भी,—
समाप्ति

(क) किसी अधिकरण, न्यायालय या सांविधिक पंच द्वारा, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, या संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य या समवर्ती सूची में प्रणालित विषयों में से किसी से सम्बन्धित किसी केन्द्रीय अधिनियम, के अधीन अधिकारिता का, या

(ख) सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, ऐसे किसी अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण अधिकारिता का,

प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करके दिये गये, या दिये जाने के लिये तात्पर्यित किसी निर्णय या आदेश या अधिनियम के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का रयोग करके, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिये गये, किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, चाहे ऐसी अपील उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी आदेश या कार्यवाही से उत्पन्न हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात क होते हुए भी, उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकार की सभी अपीलों जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थीं, उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानों वह उपधारा अधिनियमित ही न की गई हो।”

आज्ञा से,
गंगा बच्छा सिंह,
सचिव।

No. 1366/XVII-V-1—103-79

Dated Lucknow, May 28, 1981

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchcha Nyayalaya (Letters Patent Appeal Samapti) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 12, 1981:

THE UTTAR PRADESH HIGH COURT (ABOLITION OF LETTERS PATENT APPEALS) (AMENDMENT) ACT, 1981

(U. P. ACT NO. 12 OF 1981)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1962

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) (Amendment) Act, 1981.

2. For section 5 of the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1962, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 5 of U.P. Act 14 of 1962.

Abolition of Letters Patent Appeals in certain other cases.

"5. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in clause 10 of the Letters Patent of Her Majesty, dated March 17, 1866 read with clauses 7 and 17 of the U. P. High Courts (Amalgamation) Order, 1948, or in any other law, no appeal arising from an application or proceeding, instituted or commenced whether prior or subsequent to the commencement of the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) (Amendment) Act, 1981, shall lie to the High Court from a judgment or order of one judge of the High Court, made in the exercise of jurisdiction conferred by Article 226 or Article 227 of the Constitution, in respect of any judgment, order or award

(a) of a tribunal, court or statutory arbitrator made or purported to be made in the exercise or purported exercise of jurisdiction under any Uttar Pradesh Act or under any Central Act, with respect to any of the matters enumerated in the State List or the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution, or

(b) of the Government or any officer or authority, made or purported to be made in the exercise or purported exercise of appellate or revisional jurisdiction under any such Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all appeals of the nature referred to in that sub-section pending before the High Court immediately before the commencement of the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) (Amendment) Act, 1981, shall be heard and disposed of as if that sub-section had not been enacted."

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.